Aayushi International Interdisciplinary Research Journal (AIIRJ)
UGC Approved Sr.No.64259
Vol - V Issue-IV APRIL 2018 ISSN 2349-638x Impact Factor 4.574

भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका

प्रा. दिप्ती डी. चौरागडे
राजनीतिशास्त्र विभागप्रमुख,
मनोहरभाई पटेल कला व वाणिज्य
महाविद्यालय, सालेकसा जि. गोंदिया

स्वतंत्र भारत का संविधान लागू होने के बाद भारत के सभी नागरिको को बिना किसी भेदभाव के विविध प्रकार के अधिकार मिले, उससे सभी को समान विकास करने का अवसर मिला। भारत में पहले जहां महिलाएं घर की चारदीवारी तक सीमित थी, आज षिक्षा का प्रसार होने से महिलाओं ने सभी क्षेत्रो में तरक्की की है और सभी क्षेत्रो में वे अपनी योग्यता, प्रतिभा व क्षमता का प्रदर्षन कर रही है। राजनिती से लेकर फौज तक, मेडीकल से लेकर इंजीनियरिंग तक, षिक्षा क्षेत्र, मैनेजमेंट एंव विज्ञान के क्षेत्र में में महिलाओं ने अपनी उपस्थिती दर्ज करायी है। अतः राष्ट्रनिर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नही जा सकता क्योंकि महिलाओ ने सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सभी क्षेत्रों में बढ चढकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रप्रणेता स्वामी विवेकानंद ने विकास प्रकिया में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता को आवश्यक बताते हुए कहा था ''जिसप्रकार एक पंख से चिडिया उड़ान नही भर सकती है, उसीप्रकार बिना महिलाओं की सहभागिता के कोई राष्ट्र प्रगति नही कर सकता।''[1]लेकिन अगर हम महिलाओं की राजनीतिक कियाशिलता के संदर्भ में इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। समाज व परिवार की राजनीति महिलाओं के इर्द–गिर्द घूमती रहती थी। इसके बाद धीरे–धीरे महिलाओं की स्थिति खराब होती गयी और मध्यकालीन भारत तक तो महिलाए बद से बदतर स्थिति में पहुंच चुकी थी। मध्यकालीन भारतीय समाज में महिलाओं से उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा छीनकर उन्हे घर की दहलीज तक सीमित कर दिया गया था। आधुनिक भारतीय इतिहास के शुरूआती दौर में महिलाए राजनीतिक रूप से कुछ उपर उठी। भारत की आजादी के सशस्त्र संघर्ष के दौर में कई महिलाओं ने भाग भी लिया एवं गांधीजी के आव्हान पर महिलाएॅ राजनीति के क्षेत्र में भी आगे आयी।

संवैधानिक प्रावधान :

आजादी के बाद जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उसमें महिलाओं को समान राजनैतिक व सामाजिक अधिकार देने की बात कही गई है। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नही किया जायेगा। भारतीय सविधान का अनुच्छेद14 विधि के समक्ष समानता', अनुच्छेद 15 किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 15 (3)राज्य की महिलाओं व बच्चो के लिए विशेष उपबंध बनाने का अधिकार दता है। इसके अलावा 16 (1), 16 (2), 38, 39 (ख), 41, आदि में भी महिलाओं के राजनैतिक हितो के संरक्षण हेतू प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रावधान किए गए है।[2]परंतु इन सुविधाओं के बावजुद भी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी एवं निर्णयात्मक पदों पर उनकी उपस्थिति अपेक्षाओं के अनुरूप नही रही है। इसके पीछे कई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और पारिवारिक कारण रहे है।

पंचायत राज व्यवस्था एवं महिलाओं की भागीदारी :

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का स्वर्णिम काल 'केंद्रीय पंचायत राज अधिनियम 1992' से आरंभ होता है। संविधान के 73 वे एवं 74 वे संविधान संशोधन के फलस्वरूप ग्रामीण एवं नगरीय दोनो प्रकार की पंचायतो में महिलाओं के एक–तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिससे उन्हे राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का सुअवसर प्राप्त हुआ है।[3]73 वे संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में एक नया खंड 9जोडा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 के अंतर्गत महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 243 (घ)(3) में महिलाओं के लिये पंचायत में 33 प्रतिशत एवं अनुच्छेद 243 (न)(3)में नगरपालिकाओ मे पदो के आरक्षण का प्रावधान है।[4]पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण रूपी कवच की प्राप्ति के कारण ही महिलाओं में राजनैतिक चेतना, राजनैतिक जागृति एवं राजनीतिक सहभागिता का सूत्रपात हुआ है एंव उनके सामाजिक, आर्थिक स्तर, सम्मान व प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। लेकिन अभी भी पंचायतो में निर्वाचित महिलाओं के सक्रिय सहभागिता के सिध्दांत को उस प्रमाण में व्यवहारिक रूप नही मिल पाया है, जो उसे मिलना चाहिए और पुरूषो का ही वर्चस्व बना हुआ है। राजनैतिक क्षेत्र मे महिलाओं की वास्तविक भागीदारी तभी प्रभावी व सक्रिय होगी, जब महिलाएं जागरूक, शिक्षित व सजग हो, देश की महत्वपूर्ण घटनाओं, सामाजिक आर्थिक समस्याओं व सरकार की विभिन्न नीतियों व कार्यक्रमों में रूचिले, उनका विश्लेषण करे तथा अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करे, अन्यथा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओ की आरक्षण व्यवस्था की प्रासंगिकता एंव सार्थकता खटाई में पड जायेगी।

केंद्र एवं राज्यो की राजनीति में महिलाएँ :

केंद्र एवं राज्यस्तर पर महिलाओं की भूमिका का विचार करे तो वर्तमान में कुल 4896 खासदार एवं आमदार है। उनमें से केवल 418 याने 9% महिलाए है।[5]वर्तमान में केंद्रीय मंत्रीमंडल में कुल 6 महिलाएँ मंत्रीपद पर है, जिसमें निर्मला सितारमण रक्षा मंत्री, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री, स्मृति ईरानी कपडा मंत्री, उमा भारती जलसंसाधन, नदी विकास एवं गंगा सफाई मंत्री, हरसिमरत कौरखाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, मेनका गांधी महिला व बालविकास मंत्री प्रमुख है। देश के प्रधानमंत्री पद एक महिला के पास होते हुए भी महत्वपूर्ण विभाग महिलाओं को दिए गए नही थे जो मोदी मंत्रीमंडल में दिए गए है। इसी प्रकार लोकसभा की अध्यक्षा सुमित्रा महाजन को बनाया गया है।

केंद्र स्तर की राजनीति मे महिलाओं की भूमिका का विचार करे तो प्रथम आमचुनाव से लेकर अब तक महिलाओ की लोकसभामें भागीदारी निम्न प्रकार से दिखाई देती है।

लोकसभा में महिला प्रतिनिधीयों की भागीदारी (%)[6]

कमांक	वर्ष	महिला प्रतिनिधीयो की संख्या	कुल प्रतिशत
1.	1951	22	4.50%
2.	1957	22	4.45%
3.	1962	31	6.28%
4.	1967	29	5.58%
5.	1971	28	5.41%
6.	1977	19	3.51%
7.	1980	28	5.29%
8.	1984	43	7.95%
9.	1989	29	5.48%
10.	1991	39	7.30%

11.	1996	40	7.37%
12.	1998	43	7.92%
13.	1999	49	9.02%
14.	2004	45	8.29%
15.	2009	59	10.87%
16.	2014	66	12.15%

वर्तमान में देश के मात्र दो राज्यों में महिला मुख्यमंत्री है जिसमें राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया व प. बंगाल में ममता बॅनर्जी है। वैसे इसके पूर्व सुचेता कृपलानी, विजयाराजे सिंधिया, उमा भारती, जानकी रामचंद्रन, जयललिता, नंदिनी सत्पथी, शशीकला कोकाडकर, राबडी देवी, सईद अनवर तैमूर, राजिन्दर कौर भट्टल, सुषमा स्वराज, शिला दिक्षित मुख्यमंत्री रह चुकी है।

वर्तमान मे राज्यपाल के पद पर मृदुला सिन्हा गोवा, द्रोपदी मुरूमु झारखंड एवं डॉ नजमा हेपतुल्ला मणीपूर में विराजमान है।[7] वैसे इसके पहले वायलेट अल्वा, उर्मिलाबेन, उमिला बेनीवाल, सरोजनी नायडू, विजयालक्ष्मी पंडित, पदमजा नायडु, शारदा मुखर्जी, ज्योति वेंकटाचलम, कुमुदबेन जोशी, रामदुलारी सिन्हा, सरला ग्रेवाल, चंद्रावती देवी, राजकुमारी बाजपेयी, शीला कौल, फातिमा बीबी, बी.एस. रमादेवी, डॉ. रजनी रॉय, डॉ. शीला दिक्षीत महामहिम राज्यपाल रह चुकी है।

श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, श्रीमती प्रतिभाताई पाटील देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति, श्रीमती मीराकुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का पद सुशोभित कर चुकी है। इसी प्रकार राजकुमारी अमृत कौर प्रथम केंद्रीय मंत्री, सचेता कृपलानी को प्रथम महिला मुख्यमंत्री, विजयालक्ष्मी पंडित को प्रथम महिला मंत्री, डॉ. मुतुलक्ष्मी रेड्डी को भारत की प्रथम महिला आमदार होने का सम्मान मिला है।[8] श्रीमती सोनिया गांधी एक लबे समय तक कॉग्रेस पार्टी की अध्यक्षा रहने के साथ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यपीए) की अध्यक्षा रह चुकी है।

महाराष्ट्र की विधायिका का विचार करे तो 13 वी महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सदस्यों में कुल 22 महिलाएँ एवं विधान परिषद में 78 में से केवल 04 महिलाएँ है।[9] सर्वाधिक महिला विधायको के मामले में राज्यों की क्रमवारी में महाराष्ट्र का क्रम प्रथम पांच में भी नही है। पश्चिम बंगाल में 294 में से 34, बिहार में 243 से 34 एवं आंध्रप्रदेश में 294 में से 34 महिला विधायक है। इसके पश्चात उत्तरप्रदेश एवं राजस्थान का क्रमांक ह।[10]

महिला आरक्षण विधेयक :

पंचायत राज के समान संसद एवं राज्यों की विधायिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतू 81 वे संविधान संशोधन के व्दारा 12 दिसंबर, 1996 को महिला आरक्षण विधेयक प्रधानमंत्री एच.टी. देवगौडा सरकार ने सर्वप्रथम संसद में प्रस्तुत किया था, जिसमें महिलाओं के लिए संसद एवं राज्यो की विधायिका में 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किंतु कुछ दिनो में ही सरकार अल्पमत में आ गई एवं जिससे इस विधेयक पर विचार न हो सका। इसके पश्चात 1998 में भाजपा सरकार के समय, 2004 में युपीए सरकार के समय इसपर विशेष चर्चा न हो सकी। उसके पश्चात 9 मार्च 2010 में 2/3 बहुमत से विधेयक राज्यसभा में संमत किया गया, किंतु लोकसभा में पारित न हो सका। इस प्रकार यह विधेयक अनेक बार चर्चा में आया, परंतु सर्वसहमति एवं एकमत के अभाव में पिछले 21 वर्षो में आज तक मंजुर न होकर इसी प्रकार प्रस्तावित पडा है।[11]

राज्य की कुल जनसंख्या का विचार करे तो आधा भाग महिलाओं का होता है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद से लेकर अबतक के आंकडो का विश्लेषण करे तो उस प्रमाण में देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी

दिखाई नही देती। संयक्त राष्ट्रसंघ के अहवाल के अनुसार विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में भारत का 149 वा क्रमांक है।[12]प्लेटो के मतानुसार, ''स्त्रियो को शासन कार्य में भाग न लेने देना याने राज्य की आधी शक्ती को बेकार करना है।''[13] अतः इस विधेयक पर संसद के दोनो सदनो में जल्द से जल्द विचार करना चाहिए। यदि इस विधेयक को मंजुर किया गया तो भारतीय महिलाओं को समानता का दर्जा दिलाने हेतू शुरू इस संघर्ष को सफलता प्राप्त होगी और महिलाओ की भागीदारी में वृध्दि होगी।

उपसंहार :

हाल ही मे प्रधानमंत्री मोदीजी ने 'मन की बात' में कहा है कि सभी क्षेत्रो में महिलाओं की समान भागीदारी निश्चित करता हमारा कर्तव्य एवं न्यू इंडिया का सपना है।[14]लेकिन संख्या के प्रमाण में महिलाओं की भागीदारी निष्चित हो सके, अतः राजनितीक दलो पर दबाव बनाना होगा कि वे चुनावों तथा राजनीतिक कार्यकारिणीया में महिलाओं को अधिकाधिक अवसर प्रदान करे। महिलाओ को उनके अधिकारो एवं दायित्वो का समुचित ज्ञान दिलाया जाये ताकि वे इन अवसरो का समुचित लाभ उठा सके एवं संसद व राज्यो की विधायिका में महिलाओं को 33% आरक्षण देनेवाला विधेयक सर्व सम्मति से जल्द से जल्द मंजुर किया जाये। राष्ट्रहित के लिए महिला पुरुष का राजनैतिक प्रवास समांतर हो एवं विषेषकर राष्ट्रनिर्माण में महिलाओं की भूमिका में कांतीकारी परिर्वतन हो सके, इस हेतु संपूर्ण समाज के दुष्टिकोण में परिर्वतन लाना श्रेयस्कर होंगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. ग्रामीण भारत–बदलती तस्वीर, डॉ. अनिता मोदी, वाईकिंग बुक्स, जयपुर, 2012 पेज न. 146
2. भारतीय महिलाएँ–एक विश्लेषण, डॉ. वीना गर्ग, आर्या पब्लिकेशन्स, दिल्ली – 110093, 2011, पेज न. 166
3. भारत में पंचायती राज व्यवस्था, मुन्नी पडलिया, अनामिका पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्युटर्स प्रा.लि., नई दिल्ली 1100002, 2009 पेज न. 52
4. भारताचे संविधान, भारत सरकार विधी व न्याय मंत्रालय, सहावी आवृति, 2006
5. तरूण भारत, नागपूर, 22 डिसेंबर, 2017
6. http://factly.in
7. www.testbook.com
8. 51 प्रतिभावंत भारतीय महिला, आशारानी व्होरा, अनुवाद जयश्री देशपांडे, साकेत प्रकाशन प्रा.लि. औरंगाबाद, 431005
9. लोकराज्य, दिसंबर 2016
10. तरूण भारत, नागपूर, 22 डिसेंबर, 2017
11. लोकमत, नागपूर, बुधवार, 10 मार्च, 2010
12. सकाळ, नागपूर, बुधवार, 1 नोव्हेंबर, 2017
13. पाश्चिमात्य राजकीय विचार, डॉ विजय बोबडे, साई ज्योति पब्लिकेशन्स, नागपूर पेज न. 46
14. लोकमत, नागपूर 23 फेब्रुवारी, 2012